न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी--श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 57/19 ता० रजु. 18-9-19 .... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24-9-19

सरकार

बनाम

हरकिशन पुत्र श्रीराम जाति जाट नि० खेड़ली गडासिया

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खेड़ली गडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खेड़ली गडासिया के खसरा न0 1720 रकवा 1.19 हैक्ट में से रकवा 0.20 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री हरकिशन पुत्र श्रीराम जाति जाट नि० खेड़ली गडासिया तह0 बयाना ने चारे की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी द्वारा राजकीय चारागाह .... भूमि पर विधि विरूद्ध अतिकमण किया जाना सावित होता है अतः अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 1720 .... रकवा 0.20 हैक्ट वाके ग्राम खेड़ली गडासिया से बेदखल किया जाता है। लगान 3.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक .... 24-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग कायमी
बा: रै. सं. 04 के पेज नं. 10
दिनांक 11/10/19 को दर्ज 2019-20 में
पैनल्टी रू. 160 फसल नीलामी
रू. .... को जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)